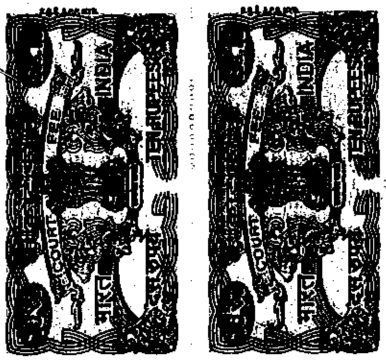

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

रेस्टोरेशन प्रकरण क्रमांक /2017 जिला–सीधी

III/पुनर्स्थापन/सीधी/भू-रा/2017/1840
1840

श्री .... द्वारा आज दि. 20.6.17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 20.6.17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

रमाकान्त पुत्र श्री दिनेश प्रसाद
निवासी – पडखुरी पवाई – 588
तहसील रामपुर नैकिन जिला – सीधी (म.प्र.)

.... प्रार्थी

विरुद्ध

शिवबालक पुत्र श्री गंगा कुर्मी
निवासी – पडखुरी पवाई – 588
तहसील रामपुर नैकिन जिला – सीधी (म.प्र.)

...... प्रति प्रार्थी

माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 794–दो/2013 निगरानी को पुनः स्थापित किये जाने हेतु आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 9 नियम 32 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता।

20/06/17

माननीय महोदय,

प्रार्थी की ओर से आवेदन सविनय निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1– यहकि, प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार रामपुर नैकिन द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.08.2012 के विरुद्ध पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 794–दो/2013 प्रस्तुत किया गया था जिसमें तारीख पेशी दिनांक 27.04.2017 नियत की गई थी।

2– यहकि, आवेदक द्वारा अपने प्रकरण में समस्त दस्तावेज प्रदान कर विधिवत् रूप से अभिभाषक श्री शम्भू नाथ द्विवेदी को नियुक्त कर दिया था। और वह प्रकरण में पैरवी कर रहे थे। किन्तु दिनांक 27.04.2017 को वह न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुये और प्रकरण अद्म पैरवी में निरस्त कर दिया गया। उक्त तथ्य की जानकारी आवेदक को अभिभाषक द्वारा नहीं दी गयी किन्तु वह जब एक अन्य प्रकरण की जानकारी करने ग्वालियर आया। तब स्थानीय अभिभाषक श्री के.के. द्विवेदी से संपर्क किया तब उनके द्वारा बताया कि आपके प्रकरण में दिनांक 27.04.2017 को आदेश पारित हो गया है। अतः तत्काल रेस्टोरेशन प्रस्तुत करना होगा। इसलिये उनके माध्यम से यह रेस्टोरेशन आवेदन पत्र जानकारी दिनांक से अन्दर अवधि में प्रस्तुत किया जा रहा है।

III/ प्रकीर्ण सीपी/ क्र०/ 2017/18410

जिला - सीपी -

3/10/17

आवेदक अधि० का - डी० डी० त्रिवेदी - उप०/ प्रकरण में तर्क दिये गये आवेदक अधि० द्वारा बताया गया है कि प्रकरण क्रमांक विवा० 794 III/13 दिनांक 27/4/17 को अदम पैरवी में खारिज किया है प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं प्रकरण रेस्टोर किया जाता है।

3-10-17